प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 08.06.2021

फर्जी पुलिस कर्मी बनकर व्यापारियों को धमकी देकर पैसे की मांग करने वाला अपराधी गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियो पर पूर्ण रुप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी कैण्ट महोदय के कुशल मार्गदर्शन में सुधीर कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा स्वयं को पुलिस अधिकारी बताकर रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटलो व अन्य दूकानो से फ्री में खाना खाना व सामान लेने व पैसों की मांग करने तथा न देने पर आजीवन जेल में सड़ा देने की धमकी देने वाला अभियुक्त अली शाह पुत्र महबूब हसन निवासी जाफरा बाजार मोहल्ला बस्तियार थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को दिनांक 08.06.2021 समय करीब 05.10 बजे दिन मिर्च मसाला होटल से गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 327/21 धारा 384/420 भादवि पंजीकृत किय गया एवं विवेचना से जुर्म धारा 388/420 भादवि का होना पाते हुए तरमीम कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अली शाह पुत्र महबूब हसन निवासी जाफरा बाजार मोहल्ला बस्तियार थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर

अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0-0786/2020 धारा 354(क), 504 भादवि थाना तिवारीपुर गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 327/2021 धारा 388/420 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान /समय–

घटनास्थल- मिर्च मसाला होटल रेलवे स्टेशन गोरखपुर , **दिनांक** 08.06.2021 समय करीब 05.10 बजे

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 कुंवर गौरव सिंह चौकी प्रभारी रेलवे कालोनी थाना कैण्ट गोरखपुर
3. उ0नि0 शैलेन्द्र शुक्ला थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0मो0 जगदीश सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर